



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

File No NCST/SER-1505/MP/27/2024-SSW

Dated:- 29.11.2024

सेवा में,

श्री संदीप यादव

प्रमुख सचिव,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

मध्य प्रदेश सरकार

सतपुड़ा भवन, भोपाल (मध्य प्रदेश)- 462004 (Email Id: pshealth@mp.gov.in, Phone :- 0755-2708808)

विषय:- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा अनुसूचित जनजाति के डॉक्टर के वेतन रोकने के संबंध में - डॉ रजनीकांत परते, अनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट, जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा का दिनांक 29.07.2024 का अभ्यावेदन।

संदर्भ:- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल के पत्रांक क्र. /4 /आयोग /NCST/F-61 /2024/1530 दिनांक 20.11.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2 अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **04.12.2024 को 4:00 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से सम्बंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आवेदक को भी सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचित करे।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(एच .आर.मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Phone -24641640

Copy to :-

Dr. Rajnikant Parte,

Flat No. 20, Panchmani Tower,

South Civil Line,

Chhindwara (Madhya Pradesh) (Email:- rajnikantparte19@gmail.com, Mobile No:9425871521)

(यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 04.12.2024 को 4:00 बजे आयोजित सिटिंग में, आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 में उपस्थित हो। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल के पत्र दिनांक 20.11.2024 की प्रति संलग्न है।)